**न्यायालयः— के.के. मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शहडोल (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रं— 1390/2010
संस्थित दिनांक — 02-11-2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र, गोहपारू
जिला—शहडोल (म0प्र0)

........................**अभियोजन**

**विरूद्ध**

1. रामनाथ पिता मोलशाह उम्र 32 वर्ष
   निवासी ग्राम दियापीपर थाना गोहपारू
   जिला शहडोल (म0प्र0)
2. देवला पिता रामदीन उम्र 32 वर्ष
3. हीरालाल पिता चमरू उम्र 65 वर्ष
4. रामसिंह पिता भैयालाल सिंह उम्र 40 वर्ष
5. जीवन सिंह पिता सुग्रीम उम्र 42 वर्ष
6. नंदू सिंह पिता सीताराम उम्र 66 वर्ष
7. महासिंह पिता हेतराम सिंह उम्र 50 वर्ष
8. अमर सिंह पिता चरकू सिंह उम्र 52 वर्ष
9. मदन सिंह पिता राममिलन सिंह उम्र 35 वर्ष
10. मोहेलाल सिंह पिता बिहारी सिंह उम्र 49 वर्ष
11. **मोहेलाल सिंह पिता गजराज — मृत उपसमित।**
    सभी पेशा— मजदूरी, अभियुक्तगण क्र0 2 लगायत 11
    निवासी ग्राम खैरवना थाना गोहपारू जिला शहडोल (म0प्र0)

.................**अभियुक्तगण**

---

राज्य द्वारा :— श्रीमती सुषमा सिंह, ए.डी.पी.ओ
अभियुक्तगण द्वारा :— श्री टी0 डी0 पाठक, अधिवक्ता।

---

**// नि र्ण य //**

**{आज दिनांक— 08/08/2018 को घोषित}**

**01—** उपर्युक्त अभियुक्तगण को वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9/51 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 03.10.2010 को

वन परिक्षेत्र गोहपारू के बीट खैरवना अंतर्गत वैध अनुज्ञप्ति के बिना अनुसूची 3 में वर्णित जंगली मादा सुअर का शिकार कर एवं वध कर अपराध कारित किया।

**02**– अभियोजन का मामला संक्षेपतः इस प्रकार है कि दिनांक– 03.10.2010 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम खैरवना मे कुछ लोग जंगली सुअर को मार कर अपनी बाड़ी में रखे हैं और उसके टुकड़े कर बांट रहे हैं। परिक्षेत्र सहायक तीरथ प्रसाद तिवारी अपने सहकर्मियों के साथ अभियुक्त रामनाथ की बाड़ी में गए वहां पर अभियुक्त रामनाथ और मोहेलाल छिपे हुए थे। मौके पर जंगली मादा सुअर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और उसका गर्दन दो तरफ से कटी हुई थी तथा उसके पिछले पैर की दाहिने जांघ का भाग कटा हुआ था। वन्य प्राणी मादा सुअर के दो पैर नहीं पाए गए। मौके से मृत जंगली सुअर की जप्ती कर नाप की गई जिसकी लंबाई 0.85 सेमी. उंचाई 0.45 सेमी0 पाई गई। गवाहों के समक्ष मौके का पंचनामा तैयार किया गया। मृत जानवर की जप्ती की गई, मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, शव परीक्षण किया गया। मृत मादा सुअर का अंतिम संस्कार किया गया। आरोपीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। गवाहों के कथन लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9/51 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**03**– प्रकरण में अभियुक्तगण को वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9/51 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में आरोप विरचित कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया, उनका अभिवाक् उन्हीं के शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

**04**– अभियुक्तगण का दं.प्र.सं. की धारा–313 अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने झूंठा फंसाए जाने का कथन किया। प्रतिरक्षा में प्रवेश कराए जाने पर अभियुक्तगण ने बचाव में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु मान्य नहीं)

नहीं की और साक्ष्य न देना प्रकट किया।

**05–** प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं :–

**(अ)** क्या अभियुक्तगण ने दिनांक–03.10.2010 को वन–विभाग के वन–परिक्षेत्र गोहपारू बीट खैरवना में वैध अनज्ञप्ति के बिना अनुसूची 3 में वर्णित जंगली मादा सुअर का शिकार एवं उसका वध कर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9/51 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है?

**(ब)** दोषसिद्धि या दोषमुक्ति ?

**–:: विनिश्चय एवं विनिश्चय के कारण ::–**

**06–** तात्कालीन वन परिक्षेत्र सहायक तीरथ प्रसाद तिवारी (अ.सा.–01) ने कथन किया है कि दिनांक 03.10.2010 को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर अपने सहकर्मियों के साथ घटनास्थल पर ग्राम खैरवना आरोपी रामनाथ के घर पहुंचे तथा मौके पर कटे हुए जंगली सुअर के टुकड़े पड़े थे, आरोपी रामनाथ घटनास्थल पर ही छिपा हुआ था तथा अन्य आरोपीगण उन्हें देखकर भाग गए थे। मौके से गवाहों के समक्ष आरोपी रामनाथ को पकड़ा गया और जंगली सुअर का मांस जप्त किया गया। उसके समक्ष जंगली सुअर के शव की नापजोख कर आरोपी रामनाथ सहित जप्त मांस को परिक्षेत्र कार्यालय गोहपारू लेकर गए जहां पर जप्तशुदा जंगली सुअर का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मृत जंगली सुअर के आगे के 2 पैर और पूरा शरीर मिला था, उक्त परीक्षण पंचनामा **प्र0पी0 2** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृत जंगली सुअर का दाह संस्कार किया गया जिसका शव दाह पंचनामा **प्र0पी0 3** एवं शव दाह पश्चात पंचनामा **प्र0पी0 4** तैयार किया गया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी के कथनों का समर्थन अ0सा0 2 रामकुशल तिवारी तात्कालिक वनपाल, अ0सा0 3 दादूराम तात्कालीन चौकीदार, अ0सा0 4 बी0के0 श्रीवास्तव तात्कालीन डिप्टी रेन्जर ने भी किया है।

**07–** अ0सा0 2 रामकुशल तिवारी ने घटना का समर्थन करते हुए **प्र0पी0 2, प्र0पी0 3 एवं प्र0पी0 4** के बी से बी भाग पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है और आरोपीगण जंगली सुअर का मांस काटते हुए देखना बताया है। यह भी कथन किया है कि एक औरत के चिल्लाने पर सभी आरोपीगण भाग गए थे किन्तु रामनाथ पकड़ा गया था। अ0सा0 3 दादूराम सिंह ने अभियोजन मामले का समर्थन करते हुए **प्र0पी0 2, प्र0पी0 3 एवं प्र0पी0 4** में सी से सी भाग पर अपना हस्ताक्षर होना बताया है और कथन किया है कि जब वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे तब आरोपीगण जंगली सुअर को भून रहे थे जिसे जप्त किया गया था। इस प्रकार से इन साक्षियों ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके द्वारा आरोपीगण को जंगली सुअर के साथ पकड़ा था वे उसे काटने की तैयारी में थे तथा कुछ पैर काट कर शुरूआत कर भी दिए थे।

**08–** तात्कालीन वन परिक्षेत्र सहायक तीरथ प्रसाद तिवारी (अ0सा0 1) ने आगे कथन किया है कि उसने घटना के संबंध में आरोपीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया जो **प्र0पी0 5 से लगायत प्र0पी0 15** है जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपीगण के अंगूठे का निशान एवं हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने बताया था कि वे लोग जंगली सुअर को खदेड़ कर लगी फसल के खेत में डाल दिया था जिससे वह भागने में असमर्थ हो गया था तथा जंगली सुअर को अभियुक्तगण ने लाठी, डण्डा एवं कुल्हाड़ी की सहायता से मारकर आपस में बांट रहे थे। मौके पर गवाह अमीरशाह तथा दादूराम के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया गया जो **प्र0पी0 17** है जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी के कथनो का समर्थन अ0सा0 4 बी0 के0 श्रीवास्तव ने भी किया है, और बताया है कि उसके समक्ष अमीर एवं दादूराम ने **प्र0पी0 17 एवं 18** के कथन सहायक परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा लिखे गए थे जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके समक्ष सहायक परिक्षेत्र अधिकारी तीरथ प्रसाद के द्वारा आरोपीगण से पूंछताछ कर उनके कथन **प्र0पी0 5 से लगायत प्र0पी0 12** लेखबद्ध किए गए थे जिनके सी से सी भाग पर उनके

हस्ताक्षर हैं।

**09–** प्रकरण में **प्र0पी0 5 लगायत 15** के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि आरोपीगण के कथन तात्कालिक वन परिक्षेत्र सहायक तीरथ प्रसाद के द्वारा लेखबद्ध किए गए हैं जिसमें बी से बी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर भी बने हुए हैं जिसके संबंध में आरोपीगण ने यह स्वीकार किया है कि वे लोग जंगली सुअर को खदेड़ कर लगी फसल में डाल दिए थे तथा घेर कर उसे लाठी डण्डा से मारकर आपस में बांट लिए थे। इस प्रकार से आरोपीगण ने वन अधिकारी के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की है जो कि उनके द्वारा पुलिस ऑफिसर्स के समक्ष न की जाकर वन अधिकारी के समक्ष की गई है, इस कारण आरोपीगण के द्वारा की गई अपराध की संस्वीकृति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 बाधक नहीं है ऐसी संस्वीकृति अपने आपमें साक्ष्य में ग्राह्य है क्योंकि इसके बावत साक्ष्य अधिनिमय की धारा–25,26 द्वारा जो प्रतिबंध रखा गया है, वह आकर्षित नहीं होता, क्योंकि वन कर्मचारी इस धारा में जो पुलिसकर्मी वर्णित किया गया है उसकी कोटि में नहीं आता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी मामले मे अनुसंधान कर दं0प्र0सं0 की धारा–173 के आधीन अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिता है। इस बावत् न्यायालय के दृष्टिकोण को बल **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 1997 सुप्रीम कोर्ट 2780 गुंजरात राज्य बनाम अनुरूद्ध सिंह** में अवधारित न्याय सिद्धांत से प्राप्त होता है।

**10–** सेवानिवृत्त वनपाल रामकुशल तिवारी (अ0सा0 2) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह घटना दिनांक को मानस भवन शहडोल में मीटिंग में गया था मीटिंग समाप्त होने के पश्चात वह परिक्षेत्र सहायक के साथ वापस जा रहा था तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग ग्राम खैरवना में जंगली सुअर को घेर कर मार रहे हैं तब परिक्षेत्र सहायक ने परिक्षेत्र अधिकारी गोहपारू को उक्त सूचना दी तथा चुहिरी डिप्टी एवं स्टाफ के साथ ग्राम खैरवना आरोपी रामनाथ के घर पर पहुंचे जहां पर खेत के पास बाड़ी में उक्त जंगली सुअर का मांस आरोपी रामनाथ और उसके साथी काट रहे थे, मौके पर पहुंचते ही एक

औरत ने भागो भागो चिल्लाया जिस पर आरोपीगण भागने लगे, किन्तु आरोपी रामनाथ मौके पर पकड़ा गया, आरोपी रामनाथ के हाथ खून से लथपथ थे। उसने मौके पर मृत जंगली सुअर तथा काटने का सामान 1 नग लोहे का बका, 1 नग तशला जप्त कर जप्ती पंचनामा **प्र0पी0 18** तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृत जंगली सुअर के संबंध में फेहरिस्त नुकसानी **प्र0पी0 19 एवं प्र0पी0 20** तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा अपराध के संबंध में आरोपीगण के विरूद्ध पी0ओ0आर0 क0 19938／17 प्र0पी0 21 तैयार किया गया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**11—** इस साक्षी के कथनों का समर्थन चौकीदार दादूराम सिंह (अ0सा0 3) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है, आरोपीगण ग्राम खैरबना के रहने वाले हैं, वह ग्राम दियापीपर में नर्सरी में वर्ष 2010 में चौकीदारी करता था। वह घटना दिनांक को उड़नदस्ता में बीट प्रभारी खैरबना एवं बरमनिया के कर्मचारी के साथ ग्राम खैरबना गया था। खैरबना के चौकीदार लखना कोल ने बताया कि जंगल से जंगली सुअर को मारकर आरोपीगण लाए हैं और रामनाथ की बाड़ी में रखे हैं और रामनाथ की बाड़ी में रखे हैं। उन लोगो ने देखा कि जंगली सुअर को भून डाले थे, जंगली सुअर के आगे का पैर का हिस्सा कटा हुआ था। मौके पर कोपरी, टंगिया, पहसुल, फरसा, कुल्हाड़ी, एक खून लगा गमछा मिला था जिसे मौके पर उसके समक्ष जप्त कर मौका पंचनामा **प्र0पी0 16** तैयार किया गया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डिप्टी रेंजर ने मौके से जंगली सुअर एवं एक कुल्हाडी, गमछा, पीतल का बर्तन जप्त कर जप्ती पत्रक **प्र0पी0 18** तैयार किया गया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। डिप्टी रेंजर ने उसके समक्ष जंगली सुअर का नुकसानी पंचनामा **प्र0पी0 19** तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डिप्टी रेंजर ने उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा **प्र0पी0 22** तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

**12**– डिप्टी रेंजर पी0के0 श्रीवास्तव (अ0सा0 4) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना दिनांक को वह ग्राम चुहिरी में डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ था, उसने घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि मौके पर परिक्षेत्र सहायक गोहपारू के द्वारा मौका पंचनामा **प्र0पी0 16** उसके समक्ष तैयार किया गया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष परिक्षेत्र सहायक ने गवाह अमीर शाह एवं दादूराम के कथन क्रमशः **प्र0पी0 17 एवं प्र0पी0 18** लेखबद्ध किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। परिक्षेत्र सहायक के द्वारा अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया था कि उनकी बाड़ी में मकई लगा था, जंगली सुअर मक्के के खेत में घुस गया था जिसे बाडी में घेराव कर लाठी, कुल्हाडी व फरसा से मार दिया गया था, मारने के बाद जंगली सुअर को भून लिया गया था। अभियुक्त रामनाथ के कथन **प्र0पी0 5,** हीरालाल का कथन **प्र0पी0 9,** महासिंह का कथन **प्र0पी0 10 एवं** देवलाल का कथन **प्र0पी0 12** है जिनके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**13**– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन के उपरोक्त साक्षीगण वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्मचारी हैं और उनसे हितबद्ध हैं अभियेाजन साक्षियों ने यह प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि ग्राम खैरवना के स्वतंत्र साक्षियों के कथन नहीं कराए गए हैं और ना ही उन्हें साक्षी बनाया गया है इस कारण संपूर्ण अभियेाजन का मामला संदेह की परिधि में आता है। लेकिन केवल स्वतंत्र साक्षी के अभाव में अभियोजन मामला त्यक्त किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिवेष में स्वतंत्र साक्षी अपने आपको आपराधिक मामलों में संलिप्त होने से बचते हैं और वे आपराधिक मामलों को भी पक्षकारों का निजी मामला समझकर उससे दूर रहना चाहते हैं, इस कारण भी अभियुक्त अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। जैसा कि **Appabhai v. State of Gujarat"AIR 1988 SUPREME COURT 696** के मामले में कहा गया है कि It is no doubt true that the prosecution has not been able to produce any independent witness to the murder that took place at the bus stand. There must have been several of such witnesses. But the prosecution case cannot be

thrown out or doubted on that ground alone. Civilized people are generally insensitive when a crime is committed even in their presence. They withdraw both from the victim and the vigilante. They keep themselves away from the Court unless it is inevitable. They think that crime like civil dispute is between two individuals or parties and they should not involve themselves. This kind of apathy of the general public is indeed unfortunate, but it is there everywhere whether in village life, towns or cities. One cannot ignore this handicap with which the investigating agency has to discharge its duties. The Court, therefore instead of doubting the prosecution case for want of independent witness must consider the spectrum or the prosecution version and then search for the nugget of truth with due regard to probability if any, suggested by the accused. The Court, however, must bear in mind that witness to a serious crime may not react in a normal manner. Nor do they react uniformly. The horror stricken witness at a dastardly crime or an act of egregious nature may react differently. Their course of conduct may not be of ordinary type in the normal circumstances. The Court, therefore, cannot reject their evidence merely because they have behaved or reacted in an unusual manner.

**14–** माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **देवेन्द्रपालसिंह विरूद्ध राज्य एन.सी.सी.टी दिल्ली 2005(5) एस.सी.सी.234, रामविलास बाबा विरूद्ध म.प्र.राज्य 2003(1)एम.पी.एल. जे.559, एवं अहिल राजा खिमा विरूद्ध सौराष्ट्र ए.आई.आर.1954 एस.सी.217** आदि अनेक न्याय दृष्टांतों में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस, आबकारी एवं वन विभाग साक्षियों के कथन भी अन्य साक्षियों के कथनों की तरह विश्वसनीय हो सकते है और उनके कथनों का मूल्यांकन उसके तात्विक गुण और मूल्य के आधार पर करना चाहिये। ऐसे साक्षियों का यदि आरोपी के विरूद्ध कोई प्रतिकूलता पूर्व से ना हो तब की दशा में सामान्य साक्षियों की तरह ही विचार में लेना चाहिए। ऐसी

स्थिति में उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में विधितः और सारतः यह विधि प्रकट होती है कि मात्र इस आधार पर ऐसे साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता कि स्वतंत्र पंच साक्षियों ने उसके कथनों की पुष्टि नहीं की है, क्योंकि संपुष्टि संबंधी नियम प्रज्ञा का नियम है,विधि का नियम नहीं है। यद्यपि इस आलोक में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्षियों के कथनों का सूक्ष्म विवेचन करना होगा।

**15**— अ0सा0 1 तीरथ प्रसाद के प्रतिपरीक्षा का परिशीलन करें तो इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में भी यह बताया है कि घटना दिनांक को वे लोग आरोपी रामनाथ को पकडकर लाए थे और फिर बाकी आरोपीगण को दुसरे दिन पकडकर लाए थे। कण्डिका 10 में साक्षी से यह सुझाव प्राप्त किया गया है कि ग्राम खैरवना में जंगली सुअर और जंगली जानवर घुस आते हैं। अ0सा0 2 रामकुशल ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे जब घटना की सूचना मिली थी उसके बाद वह शहडोल से ग्राम खैरवना 22–23 किमी की दूरी तय कर पहुंचा था जहां उक्त कार्यवाही की गई थी, कण्डिका 10 में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जंगली जानवरों को कुत्ते भी घसीट कर ले जाते हैं इससे यह दर्शित होता है कि उक्त मृत जंगली जानवर के संबंध में आरोपी के ओर से ही सुझाव प्राप्त किए गए हैं। अन्य तथ्यों के संबंध में साक्षी अखण्डित रहा है।

**16**— अ0सा0 3 दादूराम सिंह ने प्रतिपरीक्षा में यद्यपि यह स्वीकार किया है कि उसने घटना अपने आख से नहीं देखी है किन्तु वन विभाग के अधिकारी जब ग्राम खैरवना आए थे तब उसे भी बुलाया था और फिर वहां से लौटकर लिखापढ़ी कर हस्ताक्षर कराए थे। उसके सामने किसी भी आरोपी के बयान नहीं हुए थे और ना ही हस्ताक्षर कराए थे। इस प्रकार से यद्यपि साक्षी ने मामले का समर्थन तो किया है किन्तु कार्यवाही के संबंध में इसका कहना है कि वन अधिकारियों ने कार्यवाही खैरवना में नही की थी अपितु वहां से लौटने के बाद की थी। इस प्रकार से इस साक्षी के द्वारा वन विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन किया गया है। इस प्रकार से इस साक्षी के कथन से भी अभियोजन मामले का आंशिक रूप से समर्थन होता है।

**17**– चिकित्सकीय साक्षी डा0 बी0पी0 शुक्ला अ0सा0 5 ने कथन किया है कि दिनांक 04.10.2010 को जब वह गोहपारू में पशु चिकित्सक के पद पर था तब वन विभाग के द्वारा मृत जंगली मादा सुअर को सुबह 11.00 बजे पी0एम0 हेतु लाया गया था तब उसने पाया था कि उक्त जंगली मादा सुअर की उम्र लगभग डेढ़ वर्ष की थी और उसके शरीर, कंधे, गर्दन व सीने में चोटें पाई गई थी। घाव एवं सूजन होने से खून रिस रहा था सामने के दोनो पैर धारदार हथियार से कटे हुए थे। कुत्तों के द्वारा नोचा जाना भी प्रकट हो रहा था। उसकी पसलियां टूटी हुई थी, उसे धारदार हथियार से चोटिल किया गया था। उसके अनुसार उसकी मृत्यु अत्यधिक रक्तस्त्राव हो जाने से एवं शॉक लगने के कारण 01 दिन पहले हुई थी जिसकी रिपोर्ट **प्र0पी0 19** है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अनुमान के आधार पर उक्त सुअर को जंगली सुअर होना बता रहा है। जंगली सुअर तथा घरेलू सुअर में अंतर होते हैं। जंगल विभाग के बताए अनुसार वह उसे जंगली होना बता रहा है।

**18**– इस प्रकार से इस चिकित्सकीय साक्षी के कथन से यह तो स्पष्ट है कि दिनांक 03.10.2010 घटना दिनांक को ही उक्त सुअर का मृत्यु हुआ था जहां तक इस साक्षी के अनुसार घरेलु अथवा जंगली सुअर होने के संबंध में दोनो ही प्रकार के मत दिए गए हैं और ऐसी दशा में आरोपीगण के हित के मत विधि अनुसार मान्य होते हैं लेंकिन जहां तक जंगली सुअर होने या न होने का प्रश्न है वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा तथा अन्य साक्षियों ने स्पष्ट रूप से उक्त सुअर को जंगली होना बताया है चूंकि वन विभाग के व्यक्ति ऐसे जंगली जानवरों को पहचानने के संबंध में विशेषज्ञ होते हैं और उनके द्वारा बताया गया यह तथ्य कि उक्त जानवर जंगली सुअर था इसकी पुष्टी चिकित्सकीय साक्षी के कथनों से भी होती है। सुअर के मृत होने के संबंध में उसके शरीर पर चोटें होना तथा उसके आगे के दोनो पैर कटे होना यह दर्शित करता है कि आरोपीगण के द्वारा उसे काटने का प्रयास किया गया था तथा उसके पूर्व उसे चोटें पहुंचाया जाकर मारा भी गया था। जहां तक कुत्तों के द्वारा नोचे

जाने के संबंध में संभावना का प्रश्न है इस संबंध में चिकित्सकीय साक्षी ने दोनो ही मत बताए हैं किन्तु ये दोनों केवल सुझाव मात्र हैं और अभियोजन के साक्षियों ने स्पष्ट रूप से आरोपीगण के द्वारा चोटें पहुंचाए जाने का कथन किया गया है। इस प्रकार से यह प्रमाणित होता है कि मृत सुअर जंगली था तथा उसे चोट पहुंचा कर मारा गया था।

**19**– प्रकरण में साक्षियों के कथनों से यह भी दर्शित हुआ है कि जिस समय आरोपीगण उक्त सुअर को काटने की तैयार कर रहे थे उस समय पास की झाड़ियों का टट्टा लगाकर तथा पलाश की पत्तियों पर बिछा कर काट रहे थे किन्तु वन विभाग के अधिकारियों के पहुंचने पर वहां से भाग गए और आरोपी रामनाथ केवल पकड़ा गया था। अन्य आरोपीगण का घटनास्थल से भागना उनके आपराधिक कृत्य में संलिप्तता के आचरण को दर्शित करता है। इसके प्रतिकूल आरोपीगण ने घटनास्थल पर उपस्थिति एवं उक्त सुअर के घरेलु होने के संबंध में कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि आरोपीगण के द्वारा दिनांक 03.10.2010 को वन–विभाग के वन–परिक्षेत्र गोहपारू बीट खैरवना में वैध अनज्ञप्ति के बिना जंगली मादा सुअर का शिकार एवं उसका वध कर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9 का उल्लंघन किया है।

**20**– इस प्रकार से प्रकरण में अभियोजन साक्षियों के कथनों का समर्थन अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी होता है, जो कि उनके द्वारा की गई घटना के समय कार्यवाही का प्रमाण हैं। इस प्रकार से अभियोजन मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में **सफल** रहा है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9/51 के अधीन अपराध प्रमाणित पाये जाने से अभियुक्तगण को उक्त अपराध के लिये सिद्धदोष पाते हुए **दोषसिद्ध** किया जाता है।

**21**– अभियुक्तगण को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा/भर्त्सना पर छोडे जाने के संबंध में विचार किया गया। अभियुक्तगण के द्वारा वन्य जीव के अनुसूची 3 के जानवर जंगली सुअर का शिकार करके वध

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

किए जाने के कृत्य हेतु दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्तगण को उनके उक्त कृत्य को दृष्टिगत रखते हुये परिवीक्षा अधिनियम / भर्त्सना पर छोडे जाने के प्रावधानों का लाभ दिये जाने की दशा में इस प्रकार की घटनाओं को और प्रोत्साहन प्राप्त होगा। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम / भर्त्सना के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रकरण थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

**(के0 के0 मिश्रा)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शहडोल(म0प्र0)

**पुनश्चः–**

**22–** उभयपक्षों को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियोजन का तर्क है कि आरोपीगण का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रकृति का है। इनके द्वारा जंगल में वन्यजीव का शिकार एवं वध किया गया हैं। इस कारण कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। जबकि आरोपीगण का यह तर्क है कि वे ग्रामीण गरीब व्यक्ति हैं। प्रथम अपराध है। घर के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं। न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे। प्रकरण के परिशीलन से यह दर्शित है कि आरोपीगण ने एकराय होकर वन्यजीव मूक जंगली सुअर का चोट पहुंचाकर शिकार एवं वध किया हैं। उनका यह कृत्य गंभीर प्रकृति का हैं। अतः अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण को कम दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः आरोपी **रामनाथ** पिता मोलशाह उम्र 32 वर्ष**, देवला** पिता रामदीन उम्र 32 वर्ष, **हीरालाल** पिता चमरू उम्र 65 वर्ष, **रामसिंह** पिता भैयालाल सिंह उम्र 40 वर्ष, **जीवन सिंह** पिता सुग्रीम उम्र 42 वर्ष**, नंदू सिंह** पिता सीताराम उम्र 66 वर्ष**, महासिंह** पिता हेतराम सिंह उम्र 50 वर्ष**, अमर सिंह** पिता चरकू सिंह उम्र 52 वर्ष**, मदन सिंह** पिता राममिलन सिंह उम्र 35 वर्ष **एवं मोहेलाल सिंह** पिता बिहारी सिंह उम्र 49 वर्ष को **वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 / 51** के आरोप में तीन–तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100–100 / – रूपये (एक–एक सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में प्रत्येक आरोपी को 15–15 दिन (पंद्रह–पंद्रह दिन) का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जावे।

**23**– आरोपीगण के जमानत मुचलके, आरोपीगण एवं जमानतदार के निवेदन पर द.प्र.सं. की धारा 437 (ए) के शर्तों के अंतर्गत आगामी छः माह तक प्रभावशील रहेंगे एवं तत्पश्चात् स्वमेव उन्मोचित हो जावेंगे।

**24**– प्रकरण में जप्तशुदा एक नग फरसा, एक नग कुल्हाड़ी एवं एक गमछा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे तथा बर्तन आरोपीगण का दावा आपत्ति न होने से विक्रय कर शासन के पक्ष में राजसात किया जावे अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशो का पालन किया जावे।

**25**– आरोपीगण अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहा हो तो दं.प्र.सं. की धारा–428 के प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे जो निर्णय का अंग होगा।

**26**– आरोपीगण को सजा वारण्ट तैयार कर सजा भुगताए जाने हेतु जिला जेल शहडोल भेजा जावे। निर्णय की प्रति आरोपीगण को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

**(के0 के0 मिश्रा)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शहडोल(म0प्र0)

**(के0 के0 मिश्रा)**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शहडोल(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)